इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296]　　भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ 22-41-2011-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 111 के साथ पठित धारा 212 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर विचार किया जायेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा :—

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 185 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किये जाये, अर्थात् :—

''(3) उपनियम (1) तथा (2) के उपबंध, किसी अग्निशमन यान के चालक को जबकि वह आग बुझाने के लिये यान को ले जा रहा हो या किसी एम्बुलेंस के चालक को जबकि वह गंभीर रूप से बीमार रोगी को ले जा रहा हो, लागू नहीं होंगे.''

(4) किसी भी मोटरयान का कोई भी चालक किसी भौंपू (साइरन)/हूटर का प्रयोग नहीं करेगा इस उपनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क)　राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष की एसकोर्टिंग में लगे हुये सुरक्षा यान;

(ख) सेना/पुलिस/कार्यपालिक दण्डाधिकारी का यान, जबकि उनकी अधिकारिता में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये लगा हो;

(ग) कोई अग्निशमन यान, जबकि आग बुझाने के लिये ले जाते समय; और

(घ) कोई एम्बुलेंस, उसके किसी गंभीर रूप से बीमार रोगी को ले जाते समय."

NOTICE

No. F-22-41-11-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 111 read with Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), his hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all person likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the specified period above will be considered by the State Government :—

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 185, for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) The provisions of sub-rule (1) and (2) shall not apply to the driver of a fire brigade vehicle while proceeding to extinguish fire or the driver of an ambulance while carrying a seriously ill patient.

(4) No driver of a motor vehicle shall use a Siren/hooter. The provisions of this sub-rule shall not apply to the following, namely :—

(a) security vehicle engaged in escorting of Governor, Chief Minister, Chief Justice of High Court or Speaker of the State Legislative Assembly;

(b) a vehicle of the Army/Police/Executive Magistrate, when engaged in maintaning law and order situation in their jurisdiction;

(c) a fire-brigade vehicle while proceeding to extinguish fire; and

(d) an ambulance while carrying a seriously ill patient."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.